# न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—26 / 2020 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. संतोष पुत्री स्व० श्री जमना लाल कुमावत पत्नी श्री रूप लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी— औझाघर हाल 100 फीट रोड़, कृष्णा प्रोपर्टी के पीछे, गली नम्बर 03 प्लॉट नम्बर 90 भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीया

बनाम

1. सुखी पुत्री स्व० श्री मूला कुमावत पत्नी श्री रामलाल कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी— कारोईखेडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. रामू पत्नी स्व० श्री मांगू कुमावत आयु वयस्क निवासी लापिया खेड़ा ग्राम पंचायत रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. शंकरी पत्नी स्व० श्री नारायण कुमावत आयु वयस्क निवासी—लापिया खेड़ा ग्राम पंचायत रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. प्रकाश पुत्र स्व० श्री नारायण कुमावत आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शंकरी पत्नी स्व० श्री नारायण कुमावत आयु वयस्क निवासी— लापिया खेड़ा ग्राम पंचायत रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. माया पुत्री स्व० श्री नारायण कुमावत आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शंकरी पत्नी स्व० श्री नारायण कुमावत आयु वयस्क निवासी— लापिया खेड़ा ग्राम पंचायत रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. नाथू पुत्र श्री रामा कुमावत आयु वयस्क निवासी— लापिया खेड़ा ग्राम पंचायत रामपुरिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा शाखा सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) जरिये शाखा प्रबंधक
8. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कारोई कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार , भीलवाडा (राज०)
10. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाडा (राज०)

विपक्षीगण

**वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा**
**वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**
**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा— 212 आर०टि०एक्ट**

उपस्थित अधिवक्तागण—

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 16/6/25

प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी द्वारा दिनांक 02.11.2020 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर क्रम संख्या 26 / 2020 पर दर्ज किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

16/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

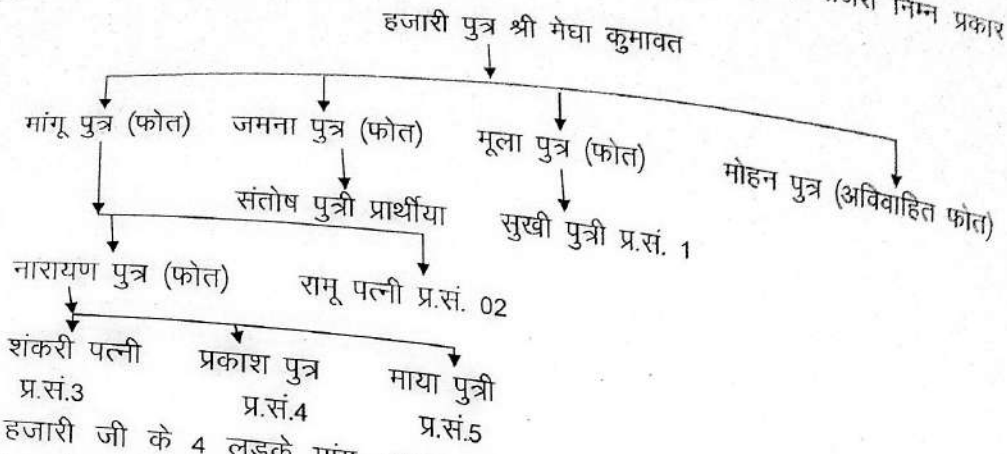


हजारी जी के 4 लड़के मांगू, जमना, मूला, मोहन हुए, जिसमे मोहन अविवाहित (कुंवारा) लाऔलाद फौत हुए है व जमना जी के एक पुत्री संतोष है, जो प्रार्थीया है व मूला जी के एक पुत्री सुखी है, जो विपक्षी संख्या 01 है व मांगू जी के एक पुत्र नारायण व पत्नी रामू है, रामू विपक्षी संख्या 02 है व नारायण का देहान्त हो चुका है, जिसके पत्नी शंकरी व पुत्र प्रकाश व पुत्री माया विपक्षी संख्या 03 लगायत 05 है। इस प्रकार प्रार्थीया एंव विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 एक ही परिवार के होकर हजारी पुत्र श्री मेघा जी कुमावत के वारीसान है व प्रार्थीया जो कि जमना जी की पुत्री व हजारी जी की पोत्री होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है।

ग्राम औझागर पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे प्रार्थीया एंव विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 की शामलाती पुश्तैनी आराजियात स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

**भाग– अ खाता संख्या 273**

आराजी नम्बर 796/1 रकबा 02 बीघा, आराजी नम्बर 800/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 801 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 803 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 रकबा 01 एक बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 08 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा

उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है।

**भाग – ब खाता संख्या 88**

आराजी नम्बर 1077 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 01 रकबा 03 बिस्वा

उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है।

वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 की पैतृक आराजियात है, जो कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2033 मे प्रार्थीया के दादा व विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के दादा, श्वसुर, दादा, श्वसुर व पड़दादा हजारी पुत्र श्री मेघा कुमावत व अन्य के नाम पर दर्ज है। उक्त आराजियात जो कि अन्य खातेदारान से विभाजन के जरिये विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर दर्ज हुई है।

खाता संख्या 273 की आराजीयात मे पारीवारिक सजरे अनुसार प्रार्थीया का 1/3 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 02 लगायत 05 का 1/3 हक हिस्सा व खाता संख्या 88 की आराजियात मे प्रार्थीया का 1/6 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 का 1/6 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 लगायत 05 का 1/6 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 06 का 1/2 हक हिस्सा निहित है व इसी हक हिस्से अनुसार प्रार्थीया एवं विपक्षीगण मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

16/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया की पैतृक होने से प्रार्थीया का जन्म से हक अधिकार निहित है व प्रार्थीया अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। हाल ही मे दिनांक 20 जुलाई 2020 को विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 वादग्रस्त आराजियात पर आये व प्रार्थीया को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया, इस पर प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कहा कि उक्त आराजियात प्रार्थीया की पैतृक होकर प्रार्थीया का जन्म से हक हिस्सा निहित है, इस पर विपक्षीगण ने कहा कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज नही है व विपक्षीगण ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगत कर प्रार्थीया व उसके पिता जमना का नाम दर्ज नही होने दिया है, वर्तमान मे उक्त आराजियात विपक्षीगण के नाम पर दर्ज है। इस कारण से प्रार्थीया को बेदखल करके ही रहेगे व उक्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द करके ही रहेगे। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है।

प्रार्थीया द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने पर प्रार्थीया को जानकारी हुई कि प्रार्थीया के पिता जमना जी जो कि हजारी जी के जायन्दा पुत्र होते हुए भी विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के पूर्वज मांगू व मूला द्वारा राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती कर उक्त आराजियात मांगू व मूला व मोहन के नाम पर दर्ज कर दी व मोहन लाऔलाद फोत होने पर मांगू व मूला के वारीसान के नाम पर दर्ज कर दी, जबकि प्रार्थीया व उसके पिता जमना जी जो कि हजारी जी के विधिक वारीस होने से राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी होते हुए भी राजस्व कर्मचारीयो द्वारा लापरवाही पूर्वक नाम दर्ज नही किया है। प्रार्थीया राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है।

विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 प्रार्थीया को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व उक्त आराजियात की प्लॉटिंग कर आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगे तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से प्रार्थीया के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि विपक्षीगण प्रार्थीया को ग्राम औझागर पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे खाता संख्या 273 मे आराजी नम्बर 796/1 रकबा 02 बीघा, आराजी नम्बर 800/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 801 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 803 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 08 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा एवं खाता संख्या 88 मे आराजी नम्बर 1077 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 01 रकबा 03 बिस्वा से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीया के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे।

ग्राम औझागर पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 273 मे आराजी नम्बर 796/1 रकबा 02 बीघा, आराजी नम्बर 800/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 801 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 803 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 08 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा एवं खाता संख्या 88 मे आराजी नम्बर 1077 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 01 रकबा 03 बिस्वा प्रार्थीया की पैतृक आराजियात है, जिसमे प्रार्थीया का जन्म से हक अधिकार निहित है तथा वादग्रस्त भूमि में खाता संख्या 273 में पारीवारिक सजरे अनुसार प्रार्थीया का 1/3 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 02 लगायत 05 का 1/3 हक हिस्सा व खाता संख्या 88 मे प्रार्थीया का 1/6 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 का 1/6 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 लगायत 05 का 1/6 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 06 का 1/2 हक हिस्सा निहित है, प्रार्थीया राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 के साथ अपना नाम दर्ज करवाने व अपना हक हिस्सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है, तदनुसार घौषणात्मक डिकी बहक प्रार्थीया विरुद्ध विपक्षीगण सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है ।

16/6/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीया /प्रार्थीया का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा संतुलन भी वादीया /प्रार्थीया के पक्ष मे है और यदि ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही फरमायी गयी और विपक्षी विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 वादीया /प्रार्थीया को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देगा व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो वादीया /प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी व वादीया /प्रार्थीया अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षीगण प्रार्थीया को वादग्रस्त आराजीयात ग्राम औझागर पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) के खाता संख्या 273 मे आराजी नम्बर 796/1 रकबा 02 बीघा आराजी नम्बर 800/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 801 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 802/1 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 803 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1076 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 1079 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 1080 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 08 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा एवं खाता संख्या 88 मे आराजी नम्बर 1077 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 01 रकबा 03 बिस्वा से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीया के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द करे तथा न ही किसी अन्य से करावे तथा न ही वादग्रस्त आराजी के विक्रय/हस्तांतरण संबधी दस्तावेज तैयार कर उनका पंजीयन करावे तथा विपक्षी संख्या 10 भी विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय/हस्तांतरण संबधी दस्तावेज पेश करने पर उनका पंजीयन नही करे तथा विपक्षी संख्या 09 राजस्व रेकार्ड मे कोई परिवर्तन नही करे तथा प्रार्थीया को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे।

अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 12.11.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से दिनांक 10.03.2021 को वकालतनामा मूल वाद में पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के अधिवक्ता श्री नवरत्नमल जोशी द्वारा अप्राथीगण की ओर से हिदायत पैरवी नहीं होने का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2024 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थीगण को प्रेषित नोटिस की प्रति पेश नहीं की जाने एवं अन्य अधिवक्तागण नियुक्त होने से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब बंद करने का निवेदन किया गया। जिस पर मूलवाद में प्रस्तुत वकालतनामे का अवलोकन करे पर स्पष्ट हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से नवरत्नमल जोशी के अतिरिक्त अन्य अधिवक्तागण भी नियुक्त किये गये है। जिन्हे जवाब प्रस्तुत करने हेतु न्यायहित में एक अन्य अवसर दिया गया परन्तु जवाब पेश नहीं किये जाने से दिनांक 01.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का जवाब बंद किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व प्रार्थीया एक ही परिवार के है। जिनके मूल पुरूष हजारी पुत्र मेघा कुमावत थे। जिनके चार पुत्र मांगू, जमना, मूला एवं मोहन हुए। जिसमें से मोहन अविवाहित लाऔलाद फौत हुये और मूला के एक पुत्री सुखी, मांगू के पुत्र नारायण, पत्नी रामू हुए। नारायण पुत्र मांगू की मृत्यु होने से उसकी पत्नी शंकरी व पुत्र प्रकाश, माया पुत्री को प्रकरण में पक्षकार कायम किया गया है। मूल पुरूष हजारी पुत्र मेघा कुमावत के पुत्र जमना जी की प्रार्थिया पुत्री होकर विधिक वारिस है। हजारी जी की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरण संख्या 12 से मांगू, मोहन, मूला के नाम दर्ज हुई। जबकि हजारी के एक अन्य वारिस जमना की मृत्यु हो जाने से उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे विरासत के आधार पर दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थिया संतोष जमना की विधिक वारिस है अतः वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया की पैतृक आराजी होने से प्रार्थिया का भी वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थिया अपने हक हिस्से को साबित करने में सफल रही है। जिससे हजारी पुत्र मेघा कुमावत के कुल हक हिस्से में से प्रार्थिया का 1/3 हक हिस्सा होने से प्रार्थिया अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित करने में सफल रही है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज है। जिसमें से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को हजारी पुत्र मेघा कुमावत को जरिये विरासतन उक्त वादग्रस्त सम्पति प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थिया का हक हिस्सा यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दी जाती है तो उसे प्रार्थिया के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा एवं नवीन वादकारण उत्पन्न होंगे। अतः प्रार्थिया के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रमाणित होता है।

16/1/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में प्रार्थिया अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया तथा प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि ग्राम औझागर तहसील भीलवाड़ा के आराजी संख्या 796/1, 800/1, 801, 802/1, 803, 1076, 1079, 1080 कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा एंव आराजी सख्या 1077 रकबा 3 बिस्वा भूमि को प्रार्थिया अपनी पैतृक कृषि आराजियात होने से अपना हक हिस्सा प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रही है। अतएवं

## —: आदेश :—

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को पाबंद्ध किया जाता है कि वे अपने नाम दर्ज भूमि का किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण, रहन, बेचान, बक्शीश नहीं करेंगे। अप्रार्थी संख्या 9 को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा अप्रार्थी संख्या 10 को वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के हक हिस्से तक की भूमि का कोई भी दस्तावेज पंजीयन नहीं करने हेतु पाबंद्ध किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व 7 लगायत 10 को मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद्ध किया जाता है। अप्रार्थी सख्या 9 वादग्रस्त भूमि में किसी भी पक्षकार की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान की जांच कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विरासत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

16/6/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा